[2022] 3 एस.सी.आर. 311

अब्दुल वहाब

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 340 / 2022)

मार्च 04, 2022

[के. एम. जोसफ और हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्तिगण]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482 - धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की सीमा के अंतर्गत म.प्र. गोवध निषेध अधिनियम 2004 की धारा 11(5) और म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 के नियम 5 के अंतर्गत जब्ती की कार्रवाई को रद्द करने के लिए - इस मामले में, प्रतिवादी का 17 गाय की संतान से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया था और ड्राइवर सहित अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए थे - म.प्र. गोवध निषेध अधिनियम 2004 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया था - वाहन जब्त किया गया था - निचली अदालत ने तय किया कि इन अधिनियमों के तहत कोई अपराध नहीं हुआ है - हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी और अन्य आरोपियों के दोषमुक्त होने के बावजूद प्रतिवादी के ट्रक की जब्ती का आदेश दिया - प्रतिवादी ने जब्ती की चुनौती देने के लिए धारा 482 की याचिका दायर की थी - उच्च न्यायालय ने जब्ती के आदेश को मान्यता दी और यह टिप्पणी की कि दो मंचों पर अलग-अलग प्रक्रिया, एक आरोपी के प्रतियोगिता के लिए और दूसरा अपराध की प्रतिष्ठा के लिए वाहन/उपकरण की जब्ती के लिए, कानूनी रूप से बनाए जा सकते हैं - उच्च न्यायालय ने आगे तय किया कि 2004 के अधिनियम के तहत शुरू की गई जब्ती की प्रक्रिया को रद्द रने के लिए धारा 482 के तहत सीमा उपलब्ध नहीं है - अतः अपील - अभिनिर्धारित किया:: 2004 अधिनियम में कोई ऐसी गैर-विरोधात्मक धारा नहीं है जो आपराधिक न्यायालयों के अधिकार पर रोक लगा दे - 2004 अधिनियम की धारा 11(4) खोज और जब्ती के संबंध में विशेष रूप से सीआर.पीसी की प्रावधानों को लागू करता है म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 के नियम 5 और 6 पुलिस को वाहन, गाय की संतान और गोमांस जब्त करने की सत्ता प्रदान करते हैं, जब 2004 अधिनियम का उल्लंघन हो, सीआर.पीसी की धारा 100 के अनुसार - अतः, आपराधिक न्यायालयों के अधिकार को व्यवस्थित करने में कोई रोक-टोक नहीं है, सहित उच्च न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत - अपीलकर्ता का ट्रक केवल आपराधिक प्रक्रिया के कारण ही जब्त किया गया था और इसलिए, लागू होने वाले कानून के तहत, जब मूल प्रक्रिया दोषमुक्ति में समाप्त हो जाए, तो राज्य वाहन को रोक नहीं सकता और फिर उसे जब्त नहीं कर सकता - जब वह आपराधिक

मुकदमे में दोषमुक्त होता है, तो अपीलकर्ता के ट्रक की जब्ती उसकी संपत्ति को अर्बित्रेशन में ले जाने के रूप में होती है और यह अनुच्छेद 300ए .के अधिकार का उल्लंघन करता है - भारतीय संविधान - अनुच्छेद 300ए ।

भारतीय संविधान: अनुच्छेद 300ए - संपत्ति के आनंद से वंचित करना - ज़ब्ती के आदेश के कारण, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति का आनंद लेने से वंचित कर दिया जाता है - संविधान का अनुच्छेद 300 ए प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल कानूनी प्राधिकृति के अधिकार से ही उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है - इसलिए, किसी व्यक्ति को उनकी संपत्ति से वंचित करने के लिए, राज्य को, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्थापित करना ज़रूरी है कि संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की गई थी या यह अपराध की प्राप्ति का हिस्सा है या सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक हित के लिए वंचन ज़रूरी है।

म.प्र. गाय वध निषेध अधिनियम, 2004: धारा 13 ए - ज़ब्ती आदेश, न्यायिकता का - सबूत का भार - 2004 के अधिनियम की धारा 13 ए, जो सबूत का भार स्थानांतरित करती है, ज़ब्ती प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है बल्कि अभियोजन प्रक्रिया के लिए है - 2004 के अधिनियम की धारा 13 ए की भूल के चलते, ज़ब्ती आदेश को कानूनी रूप से न्यायिकता दिलाने की राज्य प्राधिकृति पर भार, ज़ब्ती प्रक्रिया का सामना कर रहे व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

अपील स्वीकार करते हुए, अदालत ने निर्धारित किया:

अभिनिर्धारित: 1. 2004 के अधिनियम की धारा 11(4) में विशेष रूप से सीआर.पीसी की प्रावधानों का उल्लेख है, जो खोज और ज़ब्ती से संबंधित है और धारा 11ए (4) अपीलीय प्राधिकृति को अंतरिम चरण में ही वाहन को छोड़ने की अधिकार प्रदान करती है। म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध नियम,2012 के नियम 5 और 6 पुलिस को वाहन, गाय की संतान और बीफ को ज़ब्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं, जब 2004 के अधिनियम की धारा 4,5,6,6ए और 6बी का उल्लंघन होता है, सीआर.पीसी की धारा 100 के अनुसार। जैसा कि स्पष्ट है, सीआर.पीसी की प्रावधानों को 2004 के अधिनियम और 2012 के नियमों में विशेष रूप से लागू किया गया है। इसलिए, अधिकार की अनुपस्थिति पर गलत निष्कर्ष पर पहुँचाया गया था, वाहन मालिक की याचिका को मान्यता देने के लिए। म.प्र. गाय वध निषेध अधिनियम, 2004 के प्रकरण में और धारा 482 सीआर.पीसी के तहत आपराधिक अदालतों के अधिकार को लागू करने में कोई रोक-टोक न होने पर, उच्च अदालत धारा 482 सीआर.पीसी के तहत याचिका को मान्यता देने के लिए समर्थ थी। [पैरा 14]

2. ज़ब्ती के आदेश के कारण, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का आनंद लेने से वंचित होता है। संविधान की धारा 300ए प्रावधान करती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना कानूनी प्राधिकृति के वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को उनकी संपत्ति से वंचित करने के लिए, यह राज्य के लिए आवश्यक है कि, अन्य बीच में, स्थापित किया जाए कि संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की गई थी या यह अपराध की प्राप्ति का हिस्सा है या वंचन जनहित या सार्वजनिक हित के लिए योग्य है। [पैरा 17]

3 . राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि सबूत का भार ज़ब्ती की प्रक्रिया में ट्रक के मालिक पर है। 2004 के अधिनियम की धारा 13 ए, जो सबूत का भार स्थानांतरित करती है, ज़ब्ती प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है बल्कि अभियोजन प्रक्रिया के लिए है। 2004 के अधिनियम की धारा 13 ए की भूल के चलते, ज़ब्ती आदेश को कानूनी रूप से न्यायिकता दिलाने की राज्य प्राधिकृति पर भार, ज़ब्ती प्रक्रिया का सामना कर रहे व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। राज्य के वकील के विपरीत तर्क को, इस प्रकार खारिज किया जाता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी का ट्रक केवल आपराधिक प्रक्रिया के कारण ज़ब्त कर लिया गया था और इसलिए, लागू कानून के तहत, वाहन को राज्य द्वारा रोका और फिर ज़ब्त नहीं किया जा सकता है, जब मौलिक प्रक्रिया में दोषमुक्ति हो चुकी है। यह भी प्रस्तुत केस नहीं है कि अपीलार्थी का ट्रक समान अपराध करने के लिए प्रयुक्त होगा। [पैरा 19, 20]

4. 2004 के अधिनियम का उद्देश्य दंडात्मक और निवारक प्रकृति का है। 2004 के अधिनियम की धारा 11 और नियम 5, धारा 4,5,6, 6ए और 6बी की उल्लंघन के मामले में वाहन की ज़ब्ती और ज़ब्त की अनुमति देता है। जिला मजिस्ट्रेट के सामने ज़ब्ती प्रक्रिया, आपराधिक अभियोजन से अलग है। हालांकि, दोनों एक साथ चल सकते हैं, ज़ब्ती के साधनों की ज़ब्ती के संबंध में त्वरित और प्रभावी निर्णय को सुगम बनाने के लिए। जिला मजिस्ट्रेट को 2004 के अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 6ए और 6बी के उल्लंघन के मामलों का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति है और उल्लंघन की स्थिति में ज़ब्ती का आदेश पास कर सकता है। लेकिन एक मामले में जहां अपराधी/आरोपी को आपराधिक अभियोजन में दोषमुक्त किया जाता है, आपराधिक याचिका में दिए गए निर्णय को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज़ब्ती प्रक्रिया तय करते समय मान्य किया जाना चाहिए। [पैरा 21]

म.प्र. राज्य बनाम स्मति कल्लोबाई **(2017) 14 एससीसी 502**; *नितेश धन्नालाल पुत्र बनाम म.प्र. राज्य* **(2016) एससीसी ऑनलाइन MP 7622**; *म.प्र. राज्य बनाम उदय सिंह* **(2020) 12 एससीसी 733 : [2019] 6 एससीR 154**; *म.प्र. राज्य बनाम मधुकर राव* **2008 (14) एससीसी 624 : [2008] 1 एससीR 413**; *मधुकर राव बनाम म.प्र. राज्य* **(2000) 1 MP LJ 289 (Fबी)**; *प.बं. राज्य बनाम सुजित कुमार राणा* **(2004) 4 एससीसी 129[2004] 1 एससीR 870** - *संदर्भित।*

न्यायिक संदर्भ

(2017) 14 एससीसी 502	**में संदर्भित।**	**पैरा 11.1**
[2019] 6 एससीआर 154	**में संदर्भित।**	**पैरा 12**
[2008] 1 एससीआर 413	**में संदर्भित।**	**पैरा 15**
[2004] 1 एससीआर 870	**में संदर्भित।**	**पैरा 18**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्र : आपराधिक अपील सं. 340 / 2022

मध्य प्रदेश की इंदौर स्थित उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.05.2019 को मिस्सिलेनियस नियम आपराधिक मामला सं.1813 /2019 ।

पुल्कित तारे, आदित्य शेखर, बैभव गौतम, वकील अपीलकर्ता के लिए।

अभिनव श्रीवास्तव, सन्नी चौधरी, वकील प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया था।

हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति

1. श्री पुल्कित तारे, अपीलकर्ता के पक्ष में उपस्थित हो रहे जानकार वकील को सुना। श्री अभिनव श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश राज्य के पक्ष में उपस्थित हो रहे जानकार वकील को भी सुना।

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. इस अपील में मुख्य चुनौती अपीलकर्ता के ट्रक (जिसका नंबर है MP/09/GF/2159) के लिए 09.08.2017 को पास हुए ज़ब्ती आदेश के प्रति है, जो जिला मजिस्ट्रेट, अगर मलवा द्वारा *म.प्र गाय वध निषेध अधिनियम* की धारा 11(5) के अंतर्गत शक्तियों का अभ्यास करते हुए पास किया गया था।अधिनियम, 2004 (जिसे आगे '2004 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 के नियम 5 के तहत। ज़ब्ती आदेश को 22.9.2018 को अतिरिक्त आयुक्त, उज्जैन के न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। ज़ब्ती आदेश के विरोध में दिये गए संशोधन याचिका को तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा आपराधिक संशोधन संख्या 211/2018 में खारिज कर दिया गया। ट्रक मालिक ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने धारा 482 सीआर.पीसी के तहत याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उच्च न्यायालय ने निचले मंचों द्वारा पास किए गए आदेशों की पुष्टि की, समझाते हुए कि ज़िला मजिस्ट्रेट ने ट्रक की ज़ब्ती का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है, आरोपित व्यक्तियों के आपराधिक मामले से बरी होने के बावजूद।

4. वर्तमान अपील के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता के ट्रक में 17 गोवंश लादे जा चुके थे, जिसे पकड़ा गया था और वाहन के चालक, सुरेंद्र और ट्रक में बैठा एक और व्यक्ति, नजीर, गिरफ्तार किए गए। उसके बाद पुलिस स्टेशन कन्नड़, जिला अगर मलवा में अपराध संख्या 102/2013 के तहत 2004 के अधिनियम की धारा 4 और 9 के साथ *पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के अधिनियम,* 1960 ('1960 का अधिनियम' के लिए संक्षेप में) की धारा 11 (डी) के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत किया गया। वाहन को ज़ब्त कर लिया गया और उक्त अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों, ट्रक मालिक सहित, चार्जशीटेड किए गए।

5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अगर मलवा ने, आदिलाभ के साथ, मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रश्न का निर्माण किया जैसा कि निचली अदालतके लिए विचार किया गया:

> **"1**. क्या उपर्युक्त तिथि, समय और घटनास्थल पर आरोपित ने 17 बैलों की वध का उद्देश्य रखते हुए या ज्ञान में रखते हुए कि बैल वध किए जाएंगे, उन्हें पारिवहन किया या पारिवहन में सहायता की या म.प्र. की प्रदेशिक सीमा के बाहर नासिक में उक्त बैलों के वध के लिए समर्पण किया?"

6. तारीख 28.11.2016 के निर्णय के अंतर्गत (परिशिष्ट पी-1), साक्ष्यों के मूल्यांकन पर, विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष पर पहुंचाया कि अभियोजन ने आरोप की प्राथमिक तत्त्व को स्थापित करने में विफल रहा था, कि गाय की संतान को *"उसके वध के उद्देश्य से"* पारिवहन किया जा रहा था और ऐसा कोई अपराध 2004 की अधिनियम के तहत सामने नहीं

आया। इस प्रकार, न्यायालय द्वारा तैयार किए गए उक्त प्रश्न संख्या 1 को विशेष रूप से सिद्ध नहीं होने के लिए ठहराया गया। सभी चार आरोपियों को इस प्रकार 1960 की अधिनियम के तहत आरोपों से और भी आरोप से 2004 की अधिनियम की धारा 4 के साथ धारा 9 के तहत भी दोषमुक्त किया गया। जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया था, उन्हें उन आरोपों से भी दोषमुक्त कर दिया गया।

7. हालांकि, बाद में, जिला मजिस्ट्रेट ने 09.08.2017 को प्रयासकर्ता के ट्रक का जब्ती आदेश दिया, 2004 की अधिनियम की धारा ६ की उल्लंघन के लिए, हालांकि उसे मुख्य अदालत द्वारा आरोपी व्यक्तियों के दोषमुक्त होने का सूचित किया गया था। दोषमुक्ति के आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि अभियोजन साक्षी, जिसमें जांच अधिकारी (IO) और मुख्य साक्षी PW1 और PW2 शामिल थे, उन्होंने मावेशी की इरादा से वध के कार्य में आरोपी की सहभागिता पर गवाही नहीं दी। पशु चिकित्सक (PW4) ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी कि जानवर कृषि उद्देश्य के लिए स्वस्थ और उपयुक्त थे। मुख्य अदालत ने भी देखा कि अभियोजन का प्रस्तावित वध का मामला सभी रेकॉर्ड पर मौजूद चिकित्सा प्रमाण से बिल्कुल समर्थित नहीं था।

8. ट्रक के जब्ती के आदेश को चुनौती देते हुए और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की चुनौती को अस्वीकार करते हुए, प्रयासकर्ता के प्रतिनिधि श्री पुलकित तारे अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। वह तर्क करते हैं कि संबंधित प्रक्रिया में सभी चार आरोपियों को आपराधिक आरोपों से बरी किया जाने पर वाहन की जब्ती पूरी तरह से अनुचित है। प्रयासकर्ता के वकील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की समवर्गीय पीठ के निर्णय को संदर्भित करते हैं, *नितेश स/o धन्नालाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य१* में, जहाँ वाहन की जब्ती की परिस्थितियों में, 2004 के अधिनियम की प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, अदालत ने अधिनियम की विभिन्न प्रावधानों का व्याख्यान किया जिसमें उन्होंने कहा कि, जब तक आपराधिक अपराध की जा रही है, घटना में शामिल वाहन की जब्ती अनावश्यक होगी।

9. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रतिष्ठित वकील श्री अभिनव श्रीवास्तव विभिन्न निर्णयों को संदर्भित करते हैं और तर्क करते हैं कि अपराधी वाहन की जब्ती की दिशा में प्रक्रिया और आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दोनों समान रूप से बनाए जा सकते हैं। राज्य के वकील फिर 2004 के अधिनियम की धारा 13ए को संदर्भित करते हैं ताकि यह बता सकें कि जब उसे अधिनियम के तहत अभियोजित किया जा रहा हो, तो सबूत का बोझ आरोपी पर है। वह आगे पशु चिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक, अरविंद महाजन (PW-4) के सबूत को संदर्भित करता है, जिसने पशुओं का परीक्षण किया, ताकि यह दावा किया जा सके कि PW-4 के सबूत की आधार पर ट्रक की जब्ती के लिए पर्याप्त न्यायिकारण है।

10. उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्ती के आदेश को मान्यता दी, जिसमें तथ्य यह था कि दो मंचों के सामने अलग-अलग प्रक्रियाएं, एक आरोपित व्यक्ति के अभियोजन के लिए जिस पर अपराध का आरोप लगा है और दूसरा अपराध की संचार के लिए प्रयुक्त वाहन/उपकरण की जब्ती के लिए, वैध रूप से बनाए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के अनुसार, फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार, 2004 के अधिनियम के तहत शुरू की गई जब्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए, न्यायालय को उपलब्ध नहीं है।

11.1 आलोचित निर्णय *भारतीय वन अधिनियम, 1927* के तहत केसों की एक श्रृंखला पर आधारित है, विशेष रूप से, *मध्य प्रदेश राज्य बनाम कल्लो बाई* [२] में, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जब्ती प्रक्रियाएं मुख्य आपराधिक प्रक्रियाओं से स्वतंत्र हैं और इसका मुख्य उद्देश्य एक निवारक तंत्र प्रदान करना है और विषय वाहन का आगे का दुरुपयोग रोकना है।

11.2 उसी मामले में, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और स्थानीय विधान अर्थात मध्य प्रदेश *वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969* के प्रसंग में, इस अदालत ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 15-सी के तहत न्यायिकालयों और ट्रिब्यूनल्स पर अधिकारिक प्रतिबंध है। 1969 अधिनियम की धारा 15 के तहत प्राधिकृत को जब्ती का आदेश देने की शक्ति पर टिप्पणी करते हुए, पाया गया;

> "कि धारा 15 प्राधिकृत को उस समय तक लेखों की जब्ती की स्वतंत्र शक्ति प्रदान करती है, जब तक अपराध की पूरी तरह से स्थिरता साधित नहीं हो जाती। अधिकारी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं अगर वह संतुष्ट होता है कि कहीं न कहीं वन अपराध के आचरण के दौरान उक्त वस्त्रों का उपयोग किया गया था।"

11.3 विधान की योजना के अनुसार, कल्लो बाई (उपर्युक्त) में भी देखा गया कि, संपत्ति के निपटान के संदर्भ में आपराधिक अदालतों की अधिकारिकता, अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी की अधिकारिकता के अधीन बनाई गई है।

12. आलोचित निर्णय में विद्यमान न्यायाधीश ने, *स्टेट ऑफ म.प्र. बनाम उदय सिंह3* पर भी निर्भरता रखी, जिसमें यह ठहराया गया था कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआर.पीसी के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित अधिकारिकता का अभ्यास करते हुए मजिस्ट्रेट को जब्त की गई वाहन को छोड़ने में गलती की। चूंकि जब्ती प्रक्रियाएं वन अधिनियम, 1927 की धारा 52(3) के तहत शुरू की गई थीं (जिसे म.प्र. अधिनियम 25 के 1983 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था), आगे की प्रक्रिया उसी अधिनियम की प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा प्रशासित थी (और वन अधिनियम में एम.पी. संशोधन) और आपराधिक अदालतों की अधिकारिकता को बाहर किया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 52-सी(1) में अविरोधी अनुच्छेद ने विधान को प्रधान किया।

परिणामस्वरूप, मजिस्ट्रेट में सीआर.पीसी के तहत निवेशित शक्तियाँ हटा दी गई थीं। निर्भर किए गए निर्णय में संबंधित प्रवृत्ति इस प्रकार है:-

> **29.3.** धारा 52-सी प्रावधान करती है कि धारा 52 की उप-धारा (4) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा एक सूचना प्राप्त होने पर, कोई भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकृत, स्वीकृत अधिकारी, पीलीय प्राधिकृत या सत्र न्यायालय (धारा 52, 52-ए और 52-बी के तहत) के अलावा किसी भी अन्य को, जिस परिसंपत्ति के संबंध में जब्ती प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई हैं, उसके संबंध में संपत्ति का अधिकार, वितरण, निपटान या प्रसार के संबंध में आदेश पास करने का अधिकार नहीं होगा। धारा 52-सी की उप-धारा (1) में एक अविरोधी प्रावधान है जो वन अधिनियम, 1927 या किसी भी अन्य विधि में, जो इस समय में प्रभावी है, के विपरीत चलता है। एकमात्र बचत राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से सशक्तिकृत एक अधिकारी के संबंध में है, जो धारा 52 के तहत जब्त की गई संपत्ति का तुरंत मुक्ति का निर्देश देता है, जैसा कि धारा 61 में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, धारा 52 की उप-धारा (4)(ए) के तहत जब्ती प्रक्रियाओं की प्रारंभ की गई सूचना की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट द्वारा, धारा 52-सी की उप-धारा (1) के अधिकार की प्रतिबंधितता स्पष्ट रूप से लागू होती है।
>
> **29.4.** मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में 1927 में वन अधिनियम में किए गए संशोधन में समाहित योजना यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में, धारा 482 सीआर.पीसी के तहत एक याचिका में, मजिस्ट्रेट को जब्त की गई वाहन की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने का जो निर्देश जारी किया गया था, वह कानून के विपरीत था। धारा 451 सीआर.पीसी के अधिकार तब मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध नहीं था, जब स्वीकृत अधिकारी जब्ती प्रक्रिया शुरू की।

13. ऊपर की जानकारी से यह दिखता है कि वन से अवैध रूप से हटाए गए उत्पाद की जब्ती, कब्ज़ा और ज़ब्ती की शक्तियाँ केवल प्राधिकृत अधिकारियों में हैं। इस प्रकार, एक बार उपरोक्त विधान की प्रावधानों के तहत जब्ती प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, तो आपराधिक अदालतों का अधिकार बाहर हो जाता है, क्योंकि यह स्वीकृत अधिकारी है जिसे वाहनों की अंतरिम हिरासत के आदेश पास करने की शक्ति सौंपी गई है और मजिस्ट्रेट को दूर रखा गया है।

14. प्रतिवादित निर्णय में पहले उल्लेखित मामले इसलिए उद्धृत किए गए थे कि अदालत को धारा 482, सीआर.पीसी के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे जो अपीलकर्ता को राहत प्रदान करते थे। हमारी राय में यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्ववर्णित मामलों में लागू प्रावधान उल्लिखित 2004 अधिनियम के प्रावधानों के समान नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2004 का अधिनियम, जिससे हम यहां पर संबंधित हैं, वन अधिनियम,1927 की

धारा 52-सी(1) जैसा कोई विपरीत धारा नहीं है (जैसा कि मध्य प्रदेश द्वारा म.प्र अधिनियम 25 of 1983 के संबंध में संशोधित किया गया) या *मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969* की धारा 15-सी जो आपराधिक अदालतों के अधिकार पर रोक लगाते हैं। वर्तमान मामले पर वापस आते हुए और जो कानून लागू हुआ था, हमें ध्यान दिलाना होगा कि 2004 के अधिनियम की धारा 11(4), खोज और जब्ती के संबंध में सीआर.पीसी के प्रावधानों को विशेष रूप से लागू करती है और धारा 11 ए (4) अपील प्राधिकृत प्राधिकरण को अंतरिम चरण में ही वाहन को जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। म.प्र. *गोवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012* के नियम 5 और 6, सीआर.पीसी की धारा 100 के अनुसार, 2004 के अधिनियम की धाराओं 4, 5, 6, 6ए और 6बी की उल्लंघना के मामले में पुलिस को वाहन, गाय की संतान और गोमांस जब्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, सीआर.पीसी के प्रावधान 2004 के अधिनियम और 2012 के नियम में विशेष रूप से लागू किए गए हैं। इसलिए, वाहन मालिक की याचिका पर विचार करने की अधिकार की अनुपस्थिति पर गलत निष्कर्ष पाया गया था। *म.प्र. गोवध निषेध अधिनियम 2004,* के अंतर्गत प्रारंभ की गई प्रक्रिया के संदर्भ में और धारा 482 सीआर.पीसी के तहत आपराधिक अदालतों जिसमें उच्च अदालत भी शामिल है, के अधिकार का अभ्यास करने पर कोई रोक नहीं होने के कारण, हमारी राय में उच्च अदालत धारा 482 सीआर.पीसी के तहत याचिका को मान्यता देने में सक्षम थी।

15 हमें उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए समर्थन मिलता है, *'मध्य प्रदेश राज्य बनाम मधुकर राव4'* के अनुपात में, जहाँ इस अदालत ने एक अन्य विधान, अर्थात *वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972* के प्रावधानों की ओर इंगीत करते हुए यह मान्यता प्रदान की कि मजिस्ट्रेट के पास जब्त वाहन को अंतरिम रूप से जारी करने की धारा 451 सी आर.पीसी के तहत शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अदालत ने यह तर्क दिया कि धारा 50(2) के तहत प्राधिकृत पर अंतरिम रूप से जारी करने की प्रदान की गई शक्ति को वापस लेना, आपराधिक प्रक्रिया के संहिता की धारा 451 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर रोक का तात्पर्य नहीं होता। इसके बाद इसे ध्यान में रखते हुए उल्लेख किया गया कि अधिनियम में धारा 50(4) के तहत एक स्पष्ट विपरीत अभिप्राय पाया जा सकता है, जिसमें, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, या चीजें जब्त की जाती हैं, वह एक मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाना चाहिए जिससे कि उसे कानून के अनुसार (*और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं*) निपटाया जा सके।

16. ध्यान देने योग्य है, *'मध्य प्रदेश राज्य बनाम मधुकर राव5'* ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की, *'मधुकर राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य6'* में, जिसमें न्यायमूर्ति डी.एम. धर्माधिकारी, पूर्ण पीठ के लिए लेखन करते हुए, यह मान्यता प्रदान की कि वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 39(1)(डी) का प्रावधान, जो सम्पत्ति की ज़ब्ती के लिए राज्य सरकार के साथ सम्पत्ति की सम्पूर्ण हस्तांतरण के लिए प्रावधान करता है, बिना समर्थ

न्यायालय द्वारा यह पाया जाए कि सम्पत्ति का उल्लंघन के लिए प्रयोग हो रहा था, संविधानिक प्रावधानों के खिलाफ जाता है। पैरा 18 में संक्षेप में कहा गया है,

> "18... अगर राज्य की ओर से दी गई तर्क को स्वीकार किया जाता है तो एक आरोप पर जब्त संपत्ति राज्य की संपत्ति बन जाएगी और उसे अपराध की समझौते पर भी कभी जारी नहीं किया जा सकेगा। धारा 39 की धारा (डी) का प्रावधान को अन्य अधिनियम और संहिता के प्रावधानों के साथ तर्कसंगत और समंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए जो मिलकर अपराधों की याचिका के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं। अगर, जैसा राज्य की ओर से तर्क किया जा रहा है, केवल आरोप पर संपत्ति की ज़ब्ती सरकार की संपत्ति को बना देगी, तो इसका परिणाम उसके अपराध के प्रमाण के बिना एक आरोपित को उसकी संपत्ति से वंचित करने का होगा। ऐसे व्याख्या पर धारा 39(1) की धारा (डी) संविधानिकता की दोष से पीड़ित होगी। राज्य द्वारा रखे गए व्याख्या का अर्थ होगा कि अधिनियम के तहत एक निर्दिष्ट अधिकारी केवल एक आरोपित की संपत्ति की ज़ब्ती से उसे उसकी संपत्ति से वंचित कर देगा जिसे वह अपने व्यापार, पेशेवर या पेशेवरता के लिए प्रयोग कर रहा होता है। यह संविधान की अनुच्छेद 19(1)(ग) के तहत एक नागरिक के मौलिक अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा।"

17.जब्ती के आदेश के कारण, एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति का आनंद लेने से वंचित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 300ए का प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधिक प्राधिकृतता के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए, राज्य को, अन्य बातों के बीच, स्थापित करना जरूरी है कि संपत्ति को अवैध रूप से प्राप्त किया गया था या यह अपराध की प्राप्ति का हिस्सा है या सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक हित के लिए वंचन जायज है।

18. इस चरण पर, हम इस न्यायालय की राय को उल्लेख कर सकते हैं, जो *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुजित कुमार राना* [7] में थी। यहाँ पर जनहित में तैयार की गई साहित्य जैसे कि वन अधिनियम, 1927 (और डब्ल्यू.बी अधिनियम 22 के 1988 के तहत की गई संबंधित सम्मिलित बातों) और इससे उत्पन्न हो रही, व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर देने वाली प्रक्रियाओं, के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया था। इस प्रकार से ध्यान दिया गया कि *"अपराध की संचारन"* जब्ती के आदेश पास करने के लिए आवश्यक घटकों में से एक है और जब्ती का आदेश स्वचालित रूप से नहीं पास किया जाना चाहिए। प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:-

> "**26**. धारा 59-ए के अंतर्गत किसी प्रक्रिया में वन उत्पाद की जब्ती का आदेश ना तो दंड और ना ही सजा के समान होगा। ऐसा आदेश, हालांकि, केवल उस घटना में पास

किया जा सकता है जब एक मान्य जब्ती की जाती है और प्राधिकृत अधिकारी खुद को राज्य में वन उत्पाद के मालिकाना हक और एक वन अपराध के संचालन के प्रति संतुष्ट करता है। जब्ती का आदेश स्वतः ही पास नहीं किया जाना चाहिए, और धारा 59-ए की उप-धारा (3) के अंतर्गत, वाहन संबंधित एक विकल्पिक शक्ति प्राधिकृत अधिकारी पर प्रदान की गई है। उप-धारा (3) की धारा 59-ए के अंतर्गत साबित होने वाले घटकों के अलावा, धारा 59-बी के प्रतिसूचना के कारण, वाहन के मालिक को भी एक सूचना जारी की जानी चाहिए और इसके अलावा उसकी उप-धारा (2) के अंतर्गत, वाहन के मालिक को ऐसा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह दिखा सके कि उसे वन उत्पाद को ले जाने में बिना उसकी जानकारी या सहमति के इस्तेमाल किया गया है और जरूरी रूप से इसके लिए सतर्कता बरती गई है।"

19. जहाँ तक राज्य के वकील का प्रस्तुति है कि जब्ती की प्रक्रिया में ट्रक मालिक पर सबूत का बोझ है, हमें ध्यान देना चाहिए कि 2004 के अधिनियम की धारा 13 ए , जो सबूत का बोझ बदल देती है, जब्ती की प्रक्रिया के लिए लागू नहीं है बल्कि अभियोजन की प्रक्रिया के लिए है। 2004 के अधिनियम की धारा 13 ए की शक्ति से, जब्ती के आदेश को कानूनी रूप से सत्यापित करने के लिए राज्य प्राधिकृति पर बोझ, जब्ती की प्रक्रिया का सामना कर रहे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। राज्य के वकील की इसके विपरीत तर्क को इस प्रकार खारिज किया जाता है।

20. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के ट्रक को केवल आपराधिक प्रक्रिया के आधार पर जब्त किया गया था और इसलिए, लागू कानून के अनुसार, जब मौलिक प्रक्रिया दोषमुक्ति में समाप्त हो गई है, तो वाहन को राज्य द्वारा रोक लिया नहीं जा सकता है और फिर जब्त नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के ट्रक का पुनः उसी प्रकार का अपराध करने की संभावना है।

21. यह ध्यान में रखना चाहिए कि 2004 अधिनियम का उद्देश्य दंडात्मक और निवारक प्रकृति का है। 2004 अधिनियम की धारा 11 और *एम.पी. गोवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012* का नियम 5, धाराओं 4,5,6, 6ए और 6बी की उल्लंघन की स्थिति में वाहन के जब्त और जप्त की अनुमति देता है। जिला मजिस्ट्रेट के सामने जप्ती प्रक्रिया, आपराधिक मुकदमे से अलग है। हालांकि, जब्त के संबंध में त्वरित और प्रभावी निर्णय को सुगम बनाने के लिए दोनों समान रूप से चल सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट को 2004 अधिनियम की धाराओं 4, 5, 6, 6ए और 6बी के उल्लंघन के मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति है और उल्लंघन की स्थिति में जब्त का आदेश पास कर सकता है। लेकिन ऐसे मामले में जहां अपराधी/अभियुक्त को आपराधिक मुकदमे में दोषमुक्त किया गया है, आपराधिक मुकदमे में दिए गए निर्णय को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्ती प्रक्रिया तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान मामले

में, दोषमुक्ति का आदेश पास किया गया था क्योंकि सबूत अभियुक्त को आरोपों से जोड़ने के लिए गायब था। आपराधिक मुकदमे में उसे दोषमुक्त कर दिया गया जब प्राथमिक की ट्रक की जब्ती, उसकी संपत्ति की मनमानी रूप से वंचित करने के रूप में आती है और अनुच्छेद 300ए के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए अधिकार का उल्लंघन करती है। इसलिए, यहाँ परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि जिला मजिस्ट्रेट का जब्ती का आदेश (मुकदमे की न्यायिक निर्णय की उपेक्षा करते हुए) केवल मनमानी नहीं है बल्कि यह कानूनी आवश्यकताओं के साथ असंगत भी है।

22. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट का जब्ती का आदेश बनाए रखा नहीं जा सकता और इसे तदनुसार घोषित किया जाता है। इस परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का उल्टा निर्णय अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के साथ अपील स्वीकृत होती है, बिना किसी लागत के आदेश पर।

देविकागुजराल अपील स्वीकृत किया जाता है।

[1] (2016) एससीसी Online MP 7622
[2] (2017) 14 एससीसी 502
[3] (2020) 12 एससीसी 733
[4] 2008 (14) एससीसी 624
[5] 2008 (14) एससीसी 624
[6] (2000) 1 MP LJ 289 (Fबी)
[7] (2004) 4 एससीसी 129

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित